

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-23/3/17

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के पाँच नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की कुल राशि ₹122.46 लाख के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि TSP मद में ₹ 0.24 लाख ₹0 एवं SCSP मद में ₹40.58 लाख ₹0 अर्थात् कुल राशि ₹40.82 लाख ₹0 (चालीस लाख बेरासी हजार ₹0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/01/2016-HFA-3(FTS 14541) दिनांक-25.04.2016 द्वारा राज्य के पाँच नगर निकायों हेतु ₹121.73 लाख ₹0 SCSP मद में एवं ₹0.73 लाख ₹0 TSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹122.46 लाख ₹0 (एक करोड़ बाईस लाख छियालिस हजार ₹0 मात्र) विमुक्त की गयी है। जिसकी निकासी स्वीकृत्यादेश सं0-58 दिनांक-15.09.16 एवं आवंटनादेश सं0-59 दिनांक-15.09.16 द्वारा की गई है। अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जानी है। तदनुसार स्वीकृत्यादेश सं0-267 दिनांक-23/3/17 के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुपातिक राज्यांश की राशि TSP मद में ₹0.24 लाख ₹0 एवं SCSP मद में ₹40.58 लाख ₹0 अर्थात् कुल राशि ₹40.82 लाख ₹0 (चालीस लाख बेरासी हजार ₹0 मात्र) (स्तम्भ 8 में अंकित राशि) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं0	राज्यांश की वचनबद्ध राशि (@ 0.50 lakh/DU)	केन्द्रांश की TSP एवं SCSP मद में कुल विमुक्त राशि	TSP मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	SCSP मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	TSP मद एवं SCSP मद में विमुक्त राज्यांश की कुल राशि (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहारशरीफ नगर निगम	396	198	56.82	0.03	18.91	18.94
2	मसौड़ी नगर परिषद	304	152	15.19	0.01	5.05	5.06

3	सहरसा नगर परिषद	1000	500	28.58	0.17	9.35	9.52
4	सीतामढ़ी नगर परिषद	500	250	11.07	0.02	3.67	3.69
5	सुल्तानगंज नगर परिषद	150	75	10.80	0.01	3.60	3.61
	कुल	2350	1175	122.46	0.24	40.58	40.82

2. स्वीकृत राशि कुल राशि ₹40.82 लाख रू0 (चालीस लाख बेरासी हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।


4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹40.82 लाख रू0 (चालीस लाख बेरासी हजार रू0 मात्र) में से राशि ₹40.58 लाख रू0 (चालीस लाख अनठावन हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017890305 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 650.47 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

(ii) स्वीकृत राशि ₹40.82 लाख रू0 (चालीस लाख बेरासी हजार रू0 मात्र) में से ₹0.24 लाख रू0 (चौबीस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017960301 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 25.54 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 268

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


दिनांक- 23-3-17


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 268

दिनांक- 23-3-17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त बिहारशरीफ (नालन्दा) नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मसौढ़ी, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सुल्तानगंज/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-23/03/17

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के पाँच नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की कुल राशि ₹122.46 लाख के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि TSP मद में ₹ 0.24 लाख रू० एवं SCSP मद में ₹40.58 लाख रू० अर्थात् कुल राशि ₹40.82 लाख रू० (चालीस लाख बेरासी हजार रू० मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/01/2016-HFA-3(FTS 14541) दिनांक-25.04.2016 द्वारा राज्य के पाँच नगर निकायों हेतु ₹121.73 लाख रू० SCSP मद में एवं ₹0.73 लाख रू० TSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹122.46 लाख रू० (एक करोड़ बाईस लाख छियालिस हजार रू० मात्र) विमुक्त की गयी है। जिसकी निकासी स्वीकृत्यादेश सं०-58 दिनांक-15.09.16 एवं आवंटनादेश सं०-59 दिनांक-15.09.16 द्वारा की गई है। अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जानी है। तदनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुपातिक राज्यांश की राशि TSP मद में ₹0.24 लाख रू० एवं SCSP मद में ₹40.58 लाख रू० अर्थात् कुल राशि ₹40.82 लाख रू० (चालीस लाख बेरासी हजार रू० मात्र) (स्तम्भ 8 में अंकित राशि) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-


(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं०	राज्यांश की वचनबद्ध राशि (@ 0.50 lakh/DU)	केन्द्रांश की TSP एवं SCSP मद में कुल विमुक्त राशि	TSP मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	SCSP मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	TSP मद एवं SCSP मद में विमुक्त राज्यांश की कुल राशि (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहारशरीफ नगर निगम	396	198	56.82	0.03	18.91	18.94
2	मसौढ़ी नगर परिषद	304	152	15.19	0.01	5.05	5.06
3	सहरसा नगर परिषद	1000	500	28.58	0.17	9.35	9.52
4	सीतामढ़ी नगर परिषद	500	250	11.07	0.02	3.67	3.69
5	सुल्तानगंज नगर परिषद	150	75	10.80	0.01	3.60	3.61
	कुल	2350	1175	122.46	0.24	40.58	40.82

2. स्वीकृत राशि कुल राशि ₹40.82 लाख रू0 (चालीस लाख बेरासी हजार रू0 मात्र) के निकासी- एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. (i) स्वीकृत राशि ₹40.82 लाख रू0 (चालीस लाख बेरासी हजार रू0 मात्र) में से राशि ₹40.58 लाख रू0 (चालीस लाख अनठावन हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातीयों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017890305 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 650.47 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।
- (ii) स्वीकृत राशि ₹40.82 लाख रू0 (चालीस लाख बेरासी हजार रू0 मात्र) में से ₹0.24 लाख रू0 (चौबीस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017960301 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 25.54 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ०- 47/टि० पर दिनांक- 23.03.2017 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०- 47/टि० पर दिनांक- 21.03.2017 को प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 267
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


दिनांक- 23/03/17


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 267

दिनांक- 23/03/17

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त बिहारशरीफ (नालन्दा) नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मसौढ़ी, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सुल्तानगंज/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

